न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 136/2019

1. अमरचन्द पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।
2. भोमसिंह पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।
3. शिशपाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।
4. सुभाषचन्द्र पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।
5. रोहताशदेवी पत्नी स्व0 भूपसिंह जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।
6. कृष्णकुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. रामकुमार पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।
2. रामजीलाल पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरजीत बिजारणीया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामपुरा के खसरा सं0 213/1 की 3.281है0 में प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं 1 ता 3 के नाम संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व वादीगण सं 4 ता 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा तथा खसरा सं0 213/2 की 3.282है0 भूमि में वादीगण का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.06.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

सहा. (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 136/2019

1. अमरचन्द पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।
2. भोमसिंह पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।
3. शिशपाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।
4. सुभाषचन्द्र पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।
5. रोहताशदेवी पत्नी स्व0 भूपसिंह जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।
6. कृष्णकुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।

:— **वादीगण**

ब ना म

1. रामकुमार पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।
2. रामजीलाल पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी रामपुरा त0 भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरजीत बिजारणीया **: वादीगण**

वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 23.06.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रामपुरा के खाता सं0 3/57 के खसरा सं0 213/2 की 3.281है0 बारानी खातेदारी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार रोही रामपुरा के ही खाता सं0 77/70 के खसरा सं0 213/1 की 3.282है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम उक्त खातेदारी पहले रोही रामपुरा के खसरा सं0 213 की 6.563है0 भूमि वादीगण सं 1 ता 3 के पिता मनफूल के नाम से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं 1 ता 2 के नाम से संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी।

उक्त वाद भूमि का वादीगण के पिता और प्रतिवादी सं 1 ता 2 ने खाता तक्सीम करवाया था जिसमें वादीगण सं 1 ता 3 के पिता को खसरा सं0 213/1 की 3.281है0 भूमि प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी सं 1 ता 2 को 213/2 की 3.282है0 भूमि प्राप्त हो गयी, इसी अनुसार खाता विभाजन का नामान्तरण दर्ज हुआ था परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीगण के पिता के हिस्सा में आये खसरा सं0 213/1 की भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई जबकि 213/2 की भूमि वादीगण के पिता एवं बाद में वादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। यही बिनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के [illegible] प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा दावा की सभी मद संख्या को स्वी[illegible] दस्तावेजों के साथ ईकबाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 शिशपाल पुत्र मनफूल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही रामपुरा संवत 2072—75 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही रामपुरा संवत 2060—63 प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2064—67 प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत 2068—71 प्रदर्श 4 व 5 जमाबंदी संवत 2072—75 प्रदर्श 6 व 7 विभाजन

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

नामान्तरण प्रदर्श 8 तहसीलदार व हल्का पटवारी रिपॉर्ट प्रदर्श 9 व नवीनतम पटवार हल्का रिपॉर्ट प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि का वादीगण के पिता और प्रतिवादी सं 1 ता 2 ने खाता तक्सीम करवाया था जिसमें वादीगण सं 1 ता 3 के पिता को खसरा सं0 213/1 की 3.281है0 भूमि प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी सं 1 ता 2 को 213/2 की 3.282है0 भूमि प्राप्त हो गयी, इसी अनुसार खाता विभाजन का नामान्तरण दर्ज हुआ था परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीगण के पिता के हिस्सा में आये खसरा सं0 213/1 की भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई जबकि 213/2 की भूमि वादीगण के पिता एवं बाद में वादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। अतः रिकार्ड दुरूस्त कर खसरा सं0 213/1 की 3.281है0 भूमि वादीगण के नाम दर्ज हिस्सा के अनुसार व खसरा सं 0 213/2 की 3.282है0 भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें। इस प्रकार मुताबिक अनुतोष व वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही रामपुरा संवत 2072–75 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही रामपुरा संवत 2060–63 प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श 4 व 5 जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श 6 व 7 विभाजन नामान्तरण प्रदर्श 8 तहसीलदार व हल्का पटवारी रिपॉर्ट प्रदर्श 9 व नवीनतम पटवार हल्का रिपॉर्ट प्रदर्शित करवाये। जिसमें वाद भूमि के विभाजन का नामान्तरण प्रदर्श 8 में वाद भूमि के खसरा सं0 213/1 की 3.281है0 भूमि वादीगण के पिता के नाम से दर्ज है जबकि वर्तमान जमाबंदी में वादीगण के हिस्से में खसरा सं0 213/2 की कृषि भूमि दर्ज है। मुताबिक पटवार हल्का रिपॉर्ट व दस्तावेजी साक्ष्यों से खसरा सं0 213/1 की 3.281है0 कृषि भूमि वादीगण की होना साबित है व 213/2 की 3.282है0 भूमि प्रतिवादीगण की होना साबित है। इसलिए खसरा सं0 213/1 की भूमि वादीगण के नाम उनके हिस्सा अनुसार दर्ज किया जाना व 213/2 की भूमि प्रतिवादीगण के नाम उनके हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व साबित होने पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामपुरा के खसरा सं0 213/1 की 3.281है0 में प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं 1 ता 3 के नाम संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व वादीगण सं 4 ता 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा तथा खसरा सं0 213/2 की 3.282है0 भूमि में वादीगण का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक [illegible] को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner